

# मॉडल रेट 4400 के पार

## सोयाबीन में लगातार जबर्दस्त उछाल

**प्रशासनिक संवाददाता**  
**भोपाल, 5 जनवरी.** महज 4220 रुपए प्रति क्विंटल से शुरू हुआ सोयाबीन का मॉडल रेट अब लगातार बढ़ रहा है. नये वर्ष में इसमें जबर्दस्त उछाल आया है और लगातार पिछले चार दिनों से 4400 रुपए प्रति क्विंटल से अधिक रेट बना हुआ है.

रविवार को अब तक का सबसे अधिक मॉडल रेट 4459 रुपए दर्ज किया गया था, वहीं सोमवार को इसमें एक रुपए की मामूली गिरावट दर्ज की गई और ये 4458 रुपए पर टिका रहा.

इसके बाद 7 नवंबर से 17 नवंबर तक लगभग 1.34 लाख पंजीकृत किसानों को 249 करोड़ का द्वितीय भुगतान 26 नवंबर को किया गया. तीसरे चरण में 17 नवंबर से 19 दिसंबर तक विक्रय करने वाले लगभग 3.77 लाख पंजीकृत किसानों को 810 करोड़ का भुगतान 28 दिसंबर को किया गया. इस तरह अभी तक 6.54 लाख पंजीकृत किसानों को भावांतर की 1292 करोड़ की राशि का भुगतान किया गया है.


इससे साफ है कि अब प्रदेश में किसानों को मॉडलों में सोयाबीन के बेहतर दाम मिलने लगे हैं, इससे मॉडल रेट में भी बहुत बरकरार है. भावांतर योजना के तहत पहली बार 7 नवंबर को 4220 रुपए प्रति क्विंटल का मॉडल रेट जारी किया गया था,

उसके बाद 30 दिसंबर को पहली बार 4300 के दहलीज तक पहुंचा और इस दिन 4296 रुपए प्रति क्विंटल मॉडल रेट जारी किया गया, लेकिन उसके अगले दिन 31 दिसंबर को इसमें जबर्दस्त बढ़त उछाल दर्ज किया गया और ये 4345 रुपए तक जा चढ़ा.

# इंदौर जैसी घटनाएं रोकने कानून बनाया जाए : अजय

**भोपाल, 5 जनवरी.** कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं मध्यप्रदेश विधानसभा में विपक्ष के पूर्व नेता अजय सिंह ने इंदौर में दूधित जल पीने के कारण नागरिकों की मौत के मामले में सबक लेकर तत्काल एक कानून बनाने की मांग की है.

श्री सिंह ने एक बयान में कहा कि एक ऐसा कानून तत्काल बनाया जाए, जिसमें जिम्मेदारी तय की जाकर सजा का प्रावधान हो. बढ़ती आबादी को देखते हुए भविष्य में इस तरह की घटनाओं से इंकार नहीं किया जा सकता है. उनका दावा है कि कमोवेश यही स्थिति प्रदेश के सभी जिलों में है. राज्य के पूर्व मंत्री ने कहा कि पानी का अधिकार मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम में प्राथमिकता में शामिल है. लेकिन अभी तक



वॉटर सप्लाई तकनीक में कोई सुधार नहीं हुआ है. आज भी घनी बस्तियों में पानी की सप्लाई लाइन सीवर लाइन के पास में स्थित है. ओवरफ्लो होने पर जहरीला पानी, साफ पानी में चला जाता है. इन्हें वहां से शिफ्ट करना बहुत जरूरी है, नहीं तो ऐसी घटनाएं होती रहेंगी.

## कार्यालय कार्यपालन यंत्री, लो.नि.वि. संधारण संभाग क्रमांक-2, भोपाल

निविदा सूचना 32 वर्ष 2025-26 भोपाल, दिनांक 31/12/2025

### निविदा सूचना

निम्नलिखित कार्यों हेतु निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं. उल्लेखित कार्य का विस्तृत विवरण वेबसाइट [www.mptenders.gov.in](http://www.mptenders.gov.in) पर देखा जा सकता है.

क्र.	टेंडर क्रमांक	कार्य का नाम	आवृत्ति क्रमांक	टेंडे की अनु. राशि (रु. लाख में)
1.	2025_PWDRB_472151_1	देवतपुर केरवा डेम पहुंच मार्ग लंबाई 0.80 कि.मी. का निर्माण कार्य.	द्वितीय	144.88
2.	2025_PWDRB_472152_1	देवतखेड़ा निदानपुर चांदसरोई मार्ग के कि.मी. 5/8 पहुंच मार्ग पर पुलियों के क्षिण्य मरम्मत का कार्य.	प्रथम	80.66
3.	2025_PWDRB_472153_1	सर्वेक्षण एवं निर्माण उपसंभाग के अनुभाग क्र. 02 के अंतर्गत बंगला क्र. डी-18, डी-4/10, डी-2/19, डी-2/22 में तलपुत्र गौण कार्य.	प्रथम	41.21
4.	2025_PWDRB_472155_1	सर्वेक्षण एवं निर्माण उपसंभाग के अनुभाग क्र.-02 के अंतर्गत बंगला क्र. डी-3/22, डी-3/9 में तलपुत्र गौण कार्य.	प्रथम	28.73
5.	2025_PWDRB_472156_1	सर्वेक्षण एवं निर्माण उपसंभाग के अनुभाग क्र. 2 के अंतर्गत बंगला क्र. डी-2/8, डी-3/8, डी-4/8 में तलपुत्र गौण कार्य.	प्रथम	46.67
6.	2025_PWDRB_472157_1	सर्वेक्षण एवं निर्माण उपसंभाग के अनुभाग क्र. 2 के अंतर्गत विभिन्न बी एवं सी टाइप बंगलों की क्षतिग्रस्त बाड़ड़ी लीन की मरम्मत का कार्य.	प्रथम	67.48

उपरोक्त वेबसाइट ऑनलाइन भुगतान करने के उपरान्त निविदा प्रपत्र (टेंडर डॉक्यूमेंट) वेबसाइट के माध्यम से प्राप्त हो सकेगा. निविदा प्रपत्र ऑनलाइन क्रय एवं जमा करने की अंतिम तिथि 16/1/2026 है. निविदा में होने वाले समस्त संशोधन का प्रकाशन केवल उपरोक्त वेबसाइट पर किया जाएगा. पृथक से समाचार पत्रों में प्रकाशन नहीं किया जाएगा.

## IDFC FIRST Bank आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड

(पूर्व कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, जिसका आईडीएफसी बैंक लिमिटेड में विलय हो गया है और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के नाम से जाना जाता है)

परिशिष्ट- IV-A [नियम 8 (6) और 9 (1) के प्रावधान देखें] अत्यंत संपत्तियों की विक्री के लिए विक्री सूचना

### शुद्धिपत्र

यह अतिरिक्त सूचना नव भारत (भोपाल संस्करण) अखबार के पेज नंबर 9 पर 05.01.2026, सोमवार को प्रकाशित ई-नौलायमी विक्री सूचना के संबंध में है, जिसका एग्रीमेंट आईडी: 39426803 और 42411267 है।

डिमांड नोटिस जारी वाले काल में [NR 1628270.29/- के बजाय NR 628270.29/- बढ़ा जाए। इस सूचना के अन्य सभी विवरण अपरिवर्तित रहेंगे।

दिनांक: 05.01.2026 प्राधिकृत अधिकारी आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड  
स्थान: भोपाल (पूर्व में आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के नाम से जाना जाता था)

## राजा शंकर शाह विश्वविद्यालय छिंदवाड़ा (म.प्र.)

P.G. College Campus Dharam Tekri, Chhindwara  
Phone (o) : 07162-230266, Email : registrar.cuc@mp.gov.in  
क्र. 61/भण्डार निविदा/रा.श.वि./2026 छिंदवाड़ा, दि. : 05.01.2026

ऑनलाइन ई-निविदा आमंत्रण

राजा शंकर शाह विश्वविद्यालय, छिंदवाड़ा द्वारा कम्प्यूटर सिस्टम क्रय हेतु ई-निविदा <http://mptenders.gov.in> पर आमंत्रित की जाती है। जिसका निविदा नं. 2026\_CU\_473225\_1 है। निविदाओं का विस्तृत विवरण राजा शंकर शाह विश्वविद्यालय, छिंदवाड़ा की अधिकृत वेबसाइट <https://cuc.ac.in> पर दिनांक 05.01.2026 से उपलब्ध है।

संपर्क - श्री गजेश्वर मोर्य, मो.नं. 7693952248  
(सहायक कुलसचिव, भण्डार)

म.प्र. माध्यम/123838/2026 कुलसचिव

## कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला भोपाल

क्रमांक // खनिज / 2025 भोपाल, दिनांक // 2025

म.प्र. गौण खनिज नियम 1996 के नियम, 18 (1-क) के अंतर्गत उत्खनिपट्टा / पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति (जो भी लागू हो) प्राप्त करने के लिए

### प्रथम सूचना

यह सूचित किया जाता है कि मेसर्स श्री बालाजी बिस्वकान प्रो. श्री अक्षय बंसल निवासी जिला भोपाल म.प्र. द्वारा उत्खनिपट्टा प्राप्त करने हेतु निम्न क्षेत्र पर ऑनलाइन आवेदन पत्र दिनांक 08.11.2025 को प्रस्तुत किया गया है। प्रकाशन दिनांक से 30 दिवस की अवधि तक इस क्षेत्र पर यथास्थिति उत्खनिपट्टा / पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति आवेदन ऑनलाइन आमंत्रित किये जाते हैं. आवेदन ई-खनिज पोर्टल <https://ekhanij.mp.gov.in> पर प्रस्तुत किये जायेंगे.

### आवेदन का संक्षिप्त विवरण

जिला	तहसील	ग्राम	खसरा नंबर	रकबा	भूमि का प्रकार शासकीय/निजी	खनिज का नाम	रिमांक
भोपाल	हुजर	बरखेड़ा सालम	36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43	रकबा 3,840 हे.	शासकीय	पत्थर, मोल्डर	रकबा 3,840 हे.

उपरोक्त प्रस्तुत ऑनलाइन आवेदन पत्र में आवेदित क्षेत्र के संबंध में अन्य इच्छुक आवेदकों से विज्ञापित प्रकाशित होने की तारीख से आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि तक (कार्यालयीन समय सार्थ 06:00 बजे तक) ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं.

यदि प्रकाशित विज्ञापित के उपरान्त आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि तक 03 अथवा उससे अधिक अन्य आवेदकों के आवेदन पत्र प्राप्त होते हैं, तो प्रथम आवेदन पत्र एवं प्राप्त सभी आवेदन पत्रों को म.प्र. गौण खनिज नियम 1996 के नियम 21 के तहत अधिमान्यता तय करने के आशय से उसी दिन प्राप्त किया गया समझा जाएगा.

यदि प्रकाशित विज्ञापित में उल्लेखित आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि तक 03 से कम आवेदन पत्र प्राप्त होते हैं तो पुन: 15 दिवस की अवधि आवेदन प्राप्त करने हेतु निर्धारित कर विज्ञापित प्रकाशित की जाएगी। विज्ञापित प्रकाशन के दिनांक से 15 दिवस के भीतर अन्य आवेदक भी उपरोक्त आवेदित क्षेत्र पर आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सकेंगे. उपरोक्त अवधि में प्राप्त आवेदन पत्र तथा पूर्व प्रकाशित विज्ञापित की अवधि के दौरान प्राप्त सभी आवेदन पत्रों को म.प्र. गौण खनिज नियम, 1996 के नियम 21 के तहत अधिमान्यता तय करने के आशय से उसी दिन प्राप्त किया गया समझा जाएगा.

यदि प्रथम एवं द्वितीय विज्ञापित के उपरान्त भी निर्धारित समयावधि में अन्य कोई आवेदन पत्र प्राप्त नहीं होता है तो प्रथम आवेदक के पक्ष में नियमानुसार खनिज रियायत स्वीकृत पर विचार किया जा सकेगा.

निर्धारित समयावधि के उपरान्त प्राप्त आवेदन पत्रों को विचार में नहीं लिया जाएगा.

प्रभारी अधिकारी (खनिज) जिला भोपाल

## कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला भोपाल

क्रमांक // खनिज / 2025 भोपाल, दिनांक // 2025

म.प्र. गौण खनिज नियम 1996 के नियम, 18 (1-क) के अंतर्गत उत्खनिपट्टा / पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति (जो भी लागू हो) प्राप्त करने के लिए

### प्रथम सूचना

यह सूचित किया जाता है कि मेसर्स श्री धर्मेन्द्र गौर आ. श्री गौरलाल गौर निवासी 56, नीमखेड़ी, पोरअर रुनाहा तहसील बैरसिया जिला भोपाल म.प्र. द्वारा उत्खनिपट्टा प्राप्त करने हेतु निम्न क्षेत्र पर ऑनलाइन आवेदन पत्र दिनांक 10.06.2024 को प्रस्तुत किया गया है। प्रकाशन दिनांक से 30 दिवस की अवधि तक इस क्षेत्र पर यथास्थिति उत्खनिपट्टा / पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति आवेदन ऑनलाइन आमंत्रित किये जाते हैं. आवेदन ई-खनिज पोर्टल <https://ekhanij.mp.gov.in> पर प्रस्तुत किये जायेंगे.

### आवेदन का संक्षिप्त विवरण

जिला	तहसील	ग्राम	खसरा नंबर	रकबा	भूमि का प्रकार शासकीय/निजी	खनिज का नाम	रिमांक
भोपाल	बैरसिया	धनोरा	2/1/1/1 (एस)	भाग रकबा 2,000 हे.	शासकीय	पत्थर (यंत्रिकी क्रिया द्वारा गिट्टी निर्माण)	भाग रकबा 2,000 हे.

उपरोक्त प्रस्तुत ऑनलाइन आवेदन पत्र में आवेदित क्षेत्र के संबंध में अन्य इच्छुक आवेदकों से विज्ञापित प्रकाशित होने की तारीख से आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि तक (कार्यालयीन समय सार्थ 06:00 बजे तक) ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं.

यदि प्रकाशित विज्ञापित के उपरान्त आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि तक 03 अथवा उससे अधिक अन्य आवेदकों के आवेदन पत्र प्राप्त होते हैं, तो प्रथम आवेदन पत्र एवं प्राप्त सभी आवेदन पत्रों को म.प्र. गौण खनिज नियम 1996 के नियम 21 के तहत अधिमान्यता तय करने के आशय से उसी दिन प्राप्त किया गया समझा जाएगा.

यदि प्रकाशित विज्ञापित में उल्लेखित आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि तक 03 से कम आवेदन पत्र प्राप्त होते हैं तो पुन: 15 दिवस की अवधि आवेदन प्राप्त करने हेतु निर्धारित कर विज्ञापित प्रकाशित की जाएगी। विज्ञापित प्रकाशन के दिनांक से 15 दिवस के भीतर अन्य आवेदक भी उपरोक्त आवेदित क्षेत्र पर आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सकेंगे. उपरोक्त अवधि में प्राप्त आवेदन पत्र तथा पूर्व प्रकाशित विज्ञापित की अवधि के दौरान प्राप्त सभी आवेदन पत्रों को म.प्र. गौण खनिज नियम, 1996 के नियम 21 के तहत अधिमान्यता तय करने के आशय से उसी दिन प्राप्त किया गया समझा जाएगा.

यदि प्रथम एवं द्वितीय विज्ञापित के उपरान्त भी निर्धारित समयावधि में अन्य कोई आवेदन पत्र प्राप्त नहीं होता है तो प्रथम आवेदक के पक्ष में नियमानुसार खनिज रियायत स्वीकृत पर विचार किया जा सकेगा.

निर्धारित समयावधि के उपरान्त प्राप्त आवेदन पत्रों को विचार में नहीं लिया जाएगा.

प्रभारी अधिकारी (खनिज) जिला भोपाल

## कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला भोपाल

क्रमांक // खनिज / 2025 भोपाल, दिनांक // 2025

म.प्र. गौण खनिज नियम 1996 के नियम, 18 (1-क) के अंतर्गत उत्खनिपट्टा / पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति (जो भी लागू हो) प्राप्त करने के लिए

### प्रथम सूचना

यह सूचित किया जाता है कि मेसर्स श्री बालाजी बिस्वकान प्रो. श्री अक्षय बंसल निवासी जिला भोपाल म.प्र. द्वारा उत्खनिपट्टा प्राप्त करने हेतु निम्न क्षेत्र पर ऑनलाइन आवेदन पत्र दिनांक 09.12.2025 को प्रस्तुत किया गया है। प्रकाशन दिनांक से 30 दिवस की अवधि तक इस क्षेत्र पर यथास्थिति उत्खनिपट्टा / पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति आवेदन ऑनलाइन आमंत्रित किये जाते हैं. आवेदन ई-खनिज पोर्टल <https://ekhanij.mp.gov.in> पर प्रस्तुत किये जायेंगे.

### आवेदन का संक्षिप्त विवरण

जिला	तहसील	ग्राम	खसरा नंबर	रकबा	भूमि का प्रकार शासकीय/निजी	खनिज का नाम	रिमांक
भोपाल	हुजर	बरखेड़ा बोदर	2 (एस) एवं 5 (एस)	रकबा 186350 हे. में से 1000 हे. एवं 2,0840 हे. में से रकबा 2,000 हे. कुल रकबा 3,000 हे.	शासकीय	गिट्टी, मुरुम एवं एम-सेफ्ट	रकबा 3000 हे.

उपरोक्त प्रस्तुत ऑनलाइन आवेदन पत्र में आवेदित क्षेत्र के संबंध में अन्य इच्छुक आवेदकों से विज्ञापित प्रकाशित होने की तारीख से आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि तक (कार्यालयीन समय सार्थ 06:00 बजे तक) ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं.

यदि प्रकाशित विज्ञापित के उपरान्त आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि तक 03 अथवा उससे अधिक अन्य आवेदकों के आवेदन पत्र प्राप्त होते हैं, तो प्रथम आवेदन पत्र एवं प्राप्त सभी आवेदन पत्रों को म.प्र. गौण खनिज नियम 1996 के नियम 21 के तहत अधिमान्यता तय करने के आशय से उसी दिन प्राप्त किया गया समझा जाएगा.

यदि प्रकाशित विज्ञापित में उल्लेखित आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि तक 03 से कम आवेदन पत्र प्राप्त होते हैं तो पुन: 15 दिवस की अवधि आवेदन प्राप्त करने हेतु निर्धारित कर विज्ञापित प्रकाशित की जाएगी। विज्ञापित प्रकाशन के दिनांक से 15 दिवस के भीतर अन्य आवेदक भी उपरोक्त आवेदित क्षेत्र पर आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सकेंगे. उपरोक्त अवधि में प्राप्त आवेदन पत्र तथा पूर्व प्रकाशित विज्ञापित की अवधि के दौरान प्राप्त सभी आवेदन पत्रों को म.प्र. गौण खनिज नियम, 1996 के नियम 21 के तहत अधिमान्यता तय करने के आशय से उसी दिन प्राप्त किया गया समझा जाएगा.

यदि प्रथम एवं द्वितीय विज्ञापित के उपरान्त भी निर्धारित समयावधि में अन्य कोई आवेदन पत्र प्राप्त नहीं होता है तो प्रथम आवेदक के पक्ष में नियमानुसार खनिज रियायत स्वीकृत पर विचार किया जा सकेगा. 5 निर्धारित समयावधि के उपरान्त प्राप्त आवेदन पत्रों को विचार में नहीं लिया जाएगा.

प्रभारी अधिकारी (खनिज) जिला भोपाल

## श्रीमद् भागवत कथा सुनने उमड़ रही श्रद्धालुओं की भीड़

बैरसिया, 5 जनवरी. राम-जानकी बड़े मंदिर वसई बैरसिया में चल रही सात दिवसीय श्रीमद्भागवत भागवत कथा के दूसरे दिन सोमवार को कथा सुनने बढ़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे. आयोजन समिति के प्रमुख पूर्व पार्षद राजू धाकड़ ने बताया कि 4 जनवरी को कलश यात्रा से प्रारंभ हुई श्रीमद्भागवत भागवत कथा 10 जनवरी को संपन्न होगी। संगीतमय कथा व्यास दीदी रेखा शास्त्री के मुखारबिंद से किया जा रहा है.

## नाम परिवर्तन सूचना

सर्व सामान्य को सूचित किया जाता है मेरे पासपोर्ट में मेरा नाम पूर्णिमा राकेश सदाशिव बंसोड था जिसे बदलकर पूर्णिमा राकेश राव बंसोड कर दिया है। मुझे POORNIMA RAKESH RAO BANSOD W/O RAKESH RAO BANSOD नाम से जाना व पहचाना जाए। सही: पूर्णिमा राकेश राव बंसोड वार्ड नं. 6, चित्रगुप्त नगर, उपय हिन्दू टॉकिंग के पीछे, बालाघाट

## नाम परिवर्तन सूचना

सर्व सामान्य को सूचित किया जाता है मेरे पासपोर्ट में मेरा नाम निदा आफरीन सैय्यद था जिसे बदलकर निदा मोहम्मद अली कर दिया है। मुझे NIDA MOHAMMAD ALI W/O MOHAMMAD MEHMOOD ALI नाम से जाना व पहचाना जाए। सही: निदा मोहम्मद अली वार्ड नं. 10, राजा नगर, बालाघाट

## नाम परिवर्तन सूचना

सर्व सामान्य को सूचित किया जाता है मेरे पासपोर्ट में मेरा नाम निदा आफरीन सैय्यद था जिसे बदलकर निदा मोहम्मद अली कर दिया है। मुझे NIDA MOHAMMAD ALI W/O MOHAMMAD MEHMOOD ALI नाम से जाना व पहचाना जाए। सही: निदा मोहम्मद अली वार्ड नं. 10, राजा नगर, बालाघाट

## नाम परिवर्तन सूचना

सर्व सामान्य को सूचित किया जाता है मेरे पासपोर्ट में मेरा नाम निदा आफरीन सैय्यद था जिसे बदलकर निदा मोहम्मद अली कर दिया है। मुझे NIDA MOHAMMAD ALI W/O MOHAMMAD MEHMOOD ALI नाम से जाना व पहचाना जाए। सही: निदा मोहम्मद अली वार्ड नं. 10, राजा नगर, बालाघाट

## नाम परिवर्तन सूचना

सर्व सामान्य को सूचित किया जाता है मेरे पासपोर्ट में मेरा नाम निदा आफरीन सैय्यद था जिसे बदलकर निदा मोहम्मद अली कर दिया है। मुझे NIDA MOHAMMAD ALI W/O MOHAMMAD MEHMOOD ALI नाम से जाना व पहचाना जाए। सही: निदा मोहम्मद अली वार्ड नं. 10, राजा नगर, बालाघाट

## नाम परिवर्तन सूचना

सर्व सामान्य को सूचित किया जाता है मेरे पासपोर्ट में मेरा नाम निदा आफरीन सैय्यद था जिसे बदलकर निदा मोहम्मद अली कर दिया है। मुझे NIDA MOHAMMAD ALI W/O MOHAMMAD MEHMOOD ALI नाम से जाना व पहचाना जाए। सही: निदा मोहम्मद अली वार्ड नं. 10, राजा नगर, बालाघाट

## नाम परिवर्तन सूचना

सर्व सामान्य को सूचित किया जाता है मेरे पासपोर्ट में मेरा नाम निदा आफरीन सैय्यद था जिसे बदलकर निदा मोहम्मद अली कर दिया है। मुझे NIDA MOHAMMAD ALI W/O MOHAMMAD MEHMOOD ALI नाम से जाना व पहचाना जाए। सही: निदा मोहम्मद अली वार्ड नं. 10, राजा नगर, बालाघाट

## नाम परिवर्तन सूचना

सर्व सामान्य को सूचित किया जाता है मेरे पासपोर्ट में मेरा नाम निदा आफरीन सैय्यद था जिसे बदलकर निदा मोहम्मद अली कर दिया है। मुझे NIDA MOHAMMAD ALI W/O MOHAMMAD MEHMOOD ALI नाम से जाना व पहचाना जाए। सही: निदा मोहम्मद अली वार्ड नं. 10, राजा नगर, बालाघाट

## नाम परिवर्तन सूचना

सर्व सामान्य को सूचित किया जाता है मेरे पासपोर्ट में मेरा नाम निदा आफरीन सैय्यद था जिसे बदलकर निदा मोहम्मद अली कर दिया है। मुझे NIDA MOHAMMAD ALI W/O MOHAMMAD MEHMOOD ALI नाम से जाना व पहचाना जाए। सही: निदा मोहम्मद अली वार्ड नं. 10, राजा नगर, बालाघाट

## नाम परिवर्तन सूचना

सर्व सामान्य को सूचित किया जाता है मेरे पासपोर्ट में मेरा नाम निदा आफरीन सैय्यद था जिसे बदलकर निदा मोहम्मद अली कर दिया है। मुझे NIDA MOHAMMAD ALI W/O MOHAMMAD MEHMOOD ALI नाम से जाना व पहचाना जाए। सही: निदा मोहम्मद अली वार्ड नं. 10, राजा नगर, बालाघाट

## नाम परिवर्तन सूचना

सर्व सामान्य को सूचित किया जाता है मेरे पासपोर्ट में मेरा नाम निदा आफरीन सैय्यद था जिसे बदलकर निदा मोहम्मद अली कर दिया है। मुझे NIDA MOHAMMAD ALI W/O MOHAMMAD MEHMOOD ALI नाम से जाना व पहचाना जाए। सही: निदा मोहम्मद अली वार्ड नं. 10, राजा नगर, बालाघाट

## नाम परिवर्तन सूचना

सर्व सामान्य को सूचित किया जाता है मेरे पासपोर्ट में मेरा नाम निदा आफरीन सैय्यद था जिसे बदलकर निदा मोहम्मद अली कर दिया है। मुझे NIDA MOHAMMAD ALI W/O MOHAMMAD MEHMOOD ALI नाम से जाना व पहचाना जाए। सही: निदा मोहम्मद अली वार्ड नं. 10, राजा नगर, बालाघाट

## नाम परिवर्तन सूचना

सर्व सामान्य को सूचित किया जाता है मेरे पासपोर्ट में मेरा नाम निदा आफरीन सैय्यद था जिसे बदलकर निदा मोहम्मद अली कर दिया है। मुझे NIDA MOHAMMAD ALI W/O MOHAMMAD MEHMOOD ALI नाम से जाना व पहचाना जाए। सही: निदा मोहम्मद अली वार्ड नं. 10, राजा नगर, बालाघाट

## नाम परिवर्तन सूचना

सर्व सामान्य को सूचित किया जाता है मेरे पासपोर्ट में मेरा नाम निदा आफरीन सैय्यद था जिसे बदलकर निदा मोहम्मद अली कर दिया है। मुझे NIDA MOHAMMAD ALI W/O MOHAMMAD MEHMOOD ALI नाम से जाना व पहचाना जाए। सही: निदा मोहम्मद अली वार्ड नं. 10, राजा नगर, बालाघाट

## नाम परिवर्तन सूचना

सर्व सामान्य को सूचित किया जाता है मेरे पासपोर्ट में मेरा नाम निदा आफरीन सैय्यद था जिसे बदलकर निदा मोहम्मद अली कर दिया है। मुझे NIDA MOHAMMAD ALI W/O MOHAMMAD MEHMOOD ALI नाम से जाना व पहचाना जाए। सही: निदा मोहम्मद अली वार्ड नं. 10, राजा नगर, बालाघाट

## खराब मौसम के कारण इंडिगो की एक उड़ान रही रद्द

**नवभारत रिपोर्टर**  
**भोपाल, 5 जनवरी.** राजा भोज हवाई अड्डे पर घने कोहरे के कारण दृश्यता घटकर 100 मीटर रह गई और आरवीआर 150-250 मीटर के बीच सोमवार को रहा, जो परिचालन न्यूनतम स्तर से नीचे था. इस कारण कुछ समय के लिए उड़ानें संचालित नहीं हो सकीं. इस दौरान, अंतर्राष्ट्रीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी), एटीसी और एयरलाइंस के बीच घनिष्ठ समन्वय बनाए रखा गया. खराब मौसम के कारण इंडिगो एयरलाइन को एक पुणे-भोपाल-पुणे उड़ान रद्द कर दी गई. जैसे ही आरवीआर 350 मीटर के श्रेणी-बूद्ध न्यूनतम स्तर से ऊपर पहुंचा, सुरक्षा प्रक्रियाओं को लागू किया गया और उड़ानें सुचारू रूप से फिर से शुरू हो